रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –19 ● कानपुर 1 से 15 अक्टूबर 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड पूरे करने ही पड़ेंगे

- ✓ नेताओं को प्रभावित करने से मान्यता नहीं मिलती
- ✓ केवल सम्मान से काम चलने वाला नहीं है
- ✓ सम्मान कार्यक्रमों से सहानूभूति प्राप्त हो सकती है परन्तु मान्यता नहीं
- ✓ प्रपोज़लकर्ताओं को चाहिये कि वह सरकार को वांछित सूचनायें एवं साक्ष्य उपलब्ध करायें
- ✓ सरकार निरन्तर इस प्रयास में है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अवसर मिलना चाहिये जिसके वह हकदार हैं
- ✓ स्वास्थ्य नीति में शामिल हो सकती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता हेतु प्रपोज़लों को देने का दौर चला जिसको देखो वही अपना प्रपोज़ल लेकर अन्तरविभागीय कमेटी के पास पहुँच रहा था यहाँ तक कि लोगों ने कई अलग नामों से अलग–अलग प्रपोज़ल दिये, प्रपोज़लों के बाद अब कुछ संस्थायें व संगठन राजनीतिज्ञों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन क्या मान्यता का प्रकरण इस प्रकार हल हो जायेगा ! यदि नेताओं को प्रभावित करने से मान्यता मिलनी होती तो न जाने कब मान्यता मिल गयी होती क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यक्रमों में अनेकों बार विधायक, मन्त्री तथा मुख्यमंत्री सहित केन्द्र सरकार के मंत्री सम्मिलित होते रहे हैं किन्तु वह सरकार की मान्यता सम्बन्धी नीति को प्रभावित नहीं कर सके क्योंकि हमारे देश के नेता दूरगामी विचारधारा से ओत प्रोत हैं वह भली भांति जानते हैं कि किसी भी पद्धति की मान्यता के लिए कुछ अनिवार्य मापदण्ड होते हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है सरकार द्वारा निरन्तर जनहित में यह प्रयास किया जाता है कि देश की जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें सुगमता से उपलब्ध हों, जो सुरक्षित एवं ग्राही भी हों, इसके लिए आवश्यक है कि जो कुछ भी उपयोग में लाया जाना है उसकी जाँच परख उच्चतर स्तर पर की जाये, इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक संस्थायें कार्यरत हैं जो किसी नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए आवश्यक छानबीन करती हैं और उचित पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान करती हैं।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता के उद्देश्य से 20 अक्टूबर, 2016 को एक कमेटी गठित कर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता की जाँच हेतु 16 सदस्यी कमेटी का गठन डा0 बी0 एम0 कटोच पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में किया गयी थी, इसी के अन्तर्गत इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता हेतु 28 फरवरी, 2017 को एक नोटिस जारी किया गया जिसके द्वारा वेबसाइट के माध्यम से सभी दावेदारों, समर्थकों, प्रवर्तकों एवं जन सामान्य से प्रपोज़ल/ सूचनायें आंमत्रित की गयी थीं जिसके के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गयी थी निर्धारित समय सीमा के अनुसार देश से बड़ी संख्या में सरकार को प्रपोज़ल प्रेषित किये गये, प्रपोजल की जो भी स्थिति हुई उससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक भली भांति परिचित हैं एक समय ऐसा भी आया जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का पटाक्षेप कर दिया गया है लेकिन यह बात गलत साबित हुई सरकार ने सिर्फ 40 दिन में ही प्रपोज़लकर्ताओं को एक पत्र जारी कर मात्र दो बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी, प्रपोज़लकर्ता चूंकि राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने सरकार के पत्र पर विचार करने के लिए एक बैठक करने की सूचना जारी की, अभी सूचना ही जारी हुई थी कि सरकार की ओर एक अन्य समूह को इसी तरह का एक पत्र जारी कर दिया गया जिससे विचलित होकर संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता आवेशित एवं आक्रोशित हो गये और उन्होंने इसके साथ ही अन्तरविभागीय समिति एवं सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हम लोगों को भ्रमित कर रही है जबकि दूसरा समूह जिसमें बचे हुए लोग हैं उन्होंने नये सिरे से प्रयास शुरू कर दिये।

संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं एवं दूसरे छोटे घटक को सरकार की ओर से मिले अवसर का लाभ न मिल पाये इसलिए नये घटकों/ समूहों का गठन आरम्भ कर दिया गया है और पूरी तत्परता के साथ गुजरात, महाराष्ट्र एवं दिल्ली में बैठकों का दौर आरम्भ हो गया है इन नये घटकों/समूहों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थानों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, यह प्रयास कितना सफल होता है ! यह आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन ऐसे प्रयासों को किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इन प्रयासों के द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बड़े बड़े आयोजन कर माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत व सम्मान उच्च स्तर पर किया जाये तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है जबकि देश की वर्तमान सरकार अब तक कि तमाम सरकारों से ज़्यादा कानून के राज पर जोर दे रही है और सरकार कानून के प्रति कार्य करने के लिए पूरी तरह से अडिग है ऐसी स्थिति में यह कैसे सम्भव है कि हम अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों को पूरा किये बिना राजनीतिज्ञों के सम्मान से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं ! अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड तो पूरे करने ही होंगे केवल सम्मान से काम चलने वाला नहीं है यहां हम यह नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों का सम्मान नहीं होना चाहिये हमारा कहना केवल इतना है कि सम्मान के साथ ही अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्ड पूरे करने का प्रयास भी होना चाहिये। सम्मान से हमें निश्चित तौर पर सहानूभूति तो प्राप्त हो सकती है और हम अनवरत ऐसी ही सहानुभूति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं चाहे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रियों की निकटता हो या फिर प्रदेशों की राज्य सरकारों से।

संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं एवं दूसरा वह घटक जिसे सरकार ने सूचनायें एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु 13 अगस्त, 2019 को पत्र लिखा है उनको चाहिये कि वह एकाग्र मन से सरकार को वांछित सूचनायें एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने का प्रयास करें, यदि संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता एवं दूसरा घटक जो मूल प्रपोज़लकर्ताओं में सम्मिलित था किन्हीं कारणोंवश संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ताओं से साथ छूट गया और उन्हें सरकार द्वारा पुनः अवसर प्रदान किया गया है को आपसी सामंजस्य बनाकर सरकार को वांछित की पूर्ति करे अन्यथा की स्थिति में नवसृजित समूह जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं वह कुछ नया कर पाये ऐसी आशा नहीं है किन्तु स्थापित आन्दोलन को क्षति अवश्य पहुँचा सकते हैं।

लगातार ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि आन्दोलन संगठन एवं वैधानिकता के नाम पर हर वह कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है और बाद में भी ऐसा होगा ऐसी सम्भावना नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में वह सभी प्रपोज़लकर्ता जो संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता अथवा दूसरे समूह में नहीं हैं किन्तु मूल प्रपोज़लकर्ता हैं उन्हें इन दोनों समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति तय करनी चाहिये और एक बार फिर सभी संगठित होकर सरकार के समक्ष अपनी बात को मज़बूती के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिये सरकार निरन्तर इस प्रयास में है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक वास्तव में कुछ कर रहे हैं इसलिए उन्हें वह अवसर मिलना चाहिये जिसके वह हकदार हैं और वर्तमान सरकार की नीति है कि अधिक से अधिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रसार एवं विकास हो जिससे देश की जनता को सस्ता एवं सुलभ इलाज मिल सके साथ ही इसमें लगे लोगों को वैधानिक तरीके स्वरोज़गार भी प्राप्त हो सके। सरकार की इस नीति का लाभ उठाने के लिए हमें यथा सम्भव प्रयास करना चाहिये यदि ऐसा करने में हम सफ़ल होते हैं तो सरकार की आयुष्मान भारत योजना के सहभागी भी बन सकते हैं, सरकार द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए आयुष एवं योगा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, FIT INDIA के तहत वेलनेस सेन्टरों की स्थापना का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से चल रहा है ऐसे में यदि हम सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो हमें अब तक किये गये प्रयासों का लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यवस्था के अनुसार भी उचित है।

क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय है और राज्यों द्वारा ही इसे नियन्त्रित किया जाता है ऐसे ही विचार उत्तर प्रदेश शासन ने अपने अद्यतन आदेश में प्रकट किये हैं।

बदली सोच तो बदली धारणा

हम इसे सामान्य सी ही बात कहेंगे कि समय के साथ–साथ लोगों की सोच बदलने लगती है परन्तु सोच के साथ–साथ जब लोग बदलते हैं तो एक नई व्यवस्था निर्मित होने लगती है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी सोच के साथ–साथ लोग भी बदलते जा रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े थे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिये कार्य करते थे उनकी सोच बहुत सकारात्मक हुआ करती थी, विखण्डन या विभाजक भावनाओं का लेश मात्र भी दर्शन नहीं होता था, लेकिन ज्यों–ज्यों समय बदलता गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति में भी परिवर्तन होने लगा हमारे साथियों के विचारों में व कार्य प्रणाली में भी आमूल–चूल परिवर्तन होने लगे और इस परिवर्तन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा व दशा दोनों बदलकर रख दी, पहले भावनाओं में श्रद्धा, समर्पण व कर्तव्य निष्ठा के जो दर्शन होते थे शनैः शनैः उसका लोप होने लगा है हम इस परिवर्तन से न तो विस्मित हैं और न ही अचंभित, यह सत्य है कि आज का युग अर्थ युग है और हर क्रियायें आर्थिक हो रही हैं आर्थिक होना बुरी बात नहीं है, यह कटु सत्य है कि बिना अर्थ के कोई काम सम्भव नहीं है, परन्तु अर्थ से ही सबकुछ सम्भव हो यह भी सत्य नहीं है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिये जिस समर्पण के भाव का होना आवश्यक है उस भाव के दर्शन अब कम होते हैं, आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिये हमारे साथियों द्वारा जो येन–केन–प्रकारेण कार्य हो रहे हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को जो क्षति पहुँचा रहे हैं यदि समय रहते ऐसे कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई तो जो क्षति होगी उसकी भरपाई आसान नहीं होगी, धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस विकास की राह पर आगे बढ़ रही है वहां पर एक सकारत्मक सोच की आवश्यकता है, अधिकार और कर्तव्य के पचड़े में न पड़ते हुये हम सभी को कर्तव्य के पथ पर डट जाना चाहिये और कर्तव्य के द्वारा ही मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोधों को दूर करते हुये एक नई राह बनानी चाहिये, इस राह को बनाने के लिये हमें किसी के पहल की प्रतीक्षा नहीं करनी है बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानकर प्रारम्भ कर देना है, जो लोग व्यवस्थाओं और अधिकारों का बहाना बना कर कर्तव्य मार्ग से विलग हो रहे हैं वह कदाचित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभेक्षु नहीं हैं और न ही ऐसे लोगों से किसी परिवर्तन की आशा की जा सकती है, आज कार्य करने का वातावरण है, अवसर भी है हम सब को इस वातावरण का और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिये, आप देख ही रहे हैं कि परिस्थितियां पल–पल बदल रही हैं पता नहीं कब ?कहां ?कौन सा ?लाभ हम सब को प्राप्त हो जाये।

सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिये जिस प्रकार विचार प्रकट कर रही है, वह इस बात का संकेत दे रही है कि शीघ्र ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये अच्छे से अच्छे सन्देश प्राप्त होने हैं परन्तु इन सन्देशों को पाने के लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिये साथ ही साथ हमारे विश्वास में किन्तु अथवा परन्तु का कोई स्थान नहीं होना चाहिये, धीरे–धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है कल तक हमारे जो साथी हमारे विचारों से सहमत नहीं दिखते थे आज वही प्रत्यक्ष न सही परन्तु मौन समर्थन तो दे ही रहे हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो आज मौन हैं कल वे मुखरित भी होंगे और हम प्रसन्न मन से उनके विचारों का स्वागत करेंगे, कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, जो लोग अपने मन में यह भ्रम पाले हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर हमारा एकाधिकार है उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि भ्रम जब टूटता है तो बहुत कष्ट होता है, देखा जाये तो बर्चस्व भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, हर एक की अपनी एक सीमा होती है, सीमा रहित तो कोई होता ही नहीं है, जिस प्रकार समुद्र भले ही असीमित जलराशि का स्वामी क्यों न हो परन्तु उसकी भी अपनी सीमायें हैं, प्रकाश अन्धकार पर विजय ज़रुर पाता है लेकिन उसकी भी सीमायें हैं ठीक उसी प्रकार हम सबकी भी सीमायें हैं।

इसलिये इन्हीं सीमाओं के अन्दर रहते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वास्तविक विकास में संलग्न रहना चाहिये।

मंज़िल हमारे करीब है तो कैसा दिशाभ्रम ? और कैसी रुकावट ?

जब चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान के उद्देश्य को लेकर हम निकले थे तो बहुत लोगों ने हमारा उपहास किया था, हमारे कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह भी लगाया गया पर हम तो हम हैं जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे हमारी कार्यप्रणाली स्पष्ट और पारदर्शी है , हम जो नीतियां बनाते हैं उसके मूल में लक्ष्य पाने का उद्देश्य होता है, यह हम भी जानते हैं कि लक्ष्य आसानी से पाया नहीं जा सकता है लेकिन इस भय से कि सफलता नहीं मिलेगी हम राह नहीं बदलते क्योंकि निराशा और रुकना हमारी प्रकृति नहीं है, हम तो यही मानते हैं कि रुकजाना नहीं तू कहीं हार के .. ... इसीलिये निरन्तरता में बाधा नहीं आने देते, कुछ काम यदि एक बार में पूरे नहीं हुये तो उसे दुबारा करने का प्रयास करते हैं, प्रथम प्रयास में हमारे जो चिकित्सक जागरुक नहीं हो पाये उनके लिये पुनः प्रयास करेंगे सम्भावनायें कभी समाप्त नहीं होती हैं हर दिन एक नई सम्भावना जन्म लेती है और यही नई सम्भावना हमें कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान करती है, हम इस बात से प्रसन्न हैं कि कल तक जो हमारे अभियान का परिहास करते थे आज वही इस अभियान में अपना जीवन तलाश कर रहे हैं, हम न कल रुके थे न आगे रुकेंगे जो चलने की राह हमने चुन ली है उसपर तबतक चलते रहेंगे जबतक सफलता मिल नहीं जाती, सफलता न मिले ऐसा हो नहीं सकता हम बिना सफलता पाये रुक जायें ऐसा हमारे साथ भी नहीं हो सकता।

यदि कुछ पाना है तो निरन्तरता से विलग नहीं होना चाहिये क्योंकि निरन्तर लगे रहने से कुछ न कुछ प्राप्त तो होता ही है और जहाँ निरन्तरता टूटती है वहीं आशाओं पर विराम लगना चालू हो जाता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विडम्बना है कि इसकी गति में कभी भी निरन्तरता रह ही नहीं पाती और यही मुख्य कारण है जो इस चिकित्सा पद्धति के विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्व है, यदि इस सत्यता को हम समझ लें तो शायद जो पाने के लिये हम सब इतना संघर्ष कर रहे हैं वह संघर्ष कम हो जाता, ऐसा नहीं है कि रास्ता सुगम नहीं है ! रास्ता तो आसान है परन्तु हम सभी की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं ने मार्ग को दुरुह से दुरुहतर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है यदि हम सब इस स्थिति के आने पर गम्भीरता से विचार करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान परिस्थितियों का कारण है सम्वादहीनता और निरन्तरता में कमी।

लक्ष्य को भेदने के लिये जिस समग्रता की आवश्यकता होती है उसके दर्शन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यदा–कदा ही होते हैं, निरन्तरता का अभाव हमें लगातार पीछे छोड़ रहा है इसके वैसे तो अनेकों उदाहरण हैं परन्तु स्वाभावानुरुप हम प्रत्येक घटना को स्वंय पर घटित करके देखते हैं फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, इस समीक्षा के बाद हमने क्या पाया ?इस पर चिन्तन करते हैं और जो कुछ हमें नहीं मिलता ! उसके परिपेक्ष में क्या है ?इसका निर्णय किये गये कार्यों के आधार पर ही करते हैं। नहीं मिला–या–नहीं पाया जैसे शब्दों का स्थान कर्तव्ययोगियों के शब्दकोश में नहीं होता है।

05–05–2010 को भारत सरकार से यह स्पष्टीकरण आने के बाद कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी भी प्रकार के रोक का प्रस्ताव नहीं है इस घटना ने पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में एक नई चेतना को जन्म दिया था हर व्यक्ति आल्हादित था, खुशी पूरे चरम पर थी हर तरफ उत्साह का वातावरण था लेकिन यह उत्साह प्रसन्नता में तब बदला जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रयासों से 21 जून, 2011 का ऐतिहासिक आदेश पारित हुआ, वैसे तो हम सभी इस आदेश से परिचित हैं परन्तु फिर भी एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि 05–05–2010 का आदेश मात्र स्पष्टीकरण है यह आदेश कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है जबकि 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का मार्ग प्रश्स्त करता है।

यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देता है, इस आदेश की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इस आदेश के क्रियान्वयन के लिये सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि हर राज्य अपने यहाँ इस आदेश का क्रियान्वयन करे।

सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस आदेश का क्रियान्वयन हुआ और इस बार भी इसका श्रेय प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की एकमात्र विधिसम्मत ढंग से स्थापित संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को और इस का श्रेय भी जाता है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी को, इस आदेश ने पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की स्थिति पैदा कर दी, इसका व्यापक प्रचार भी किया गया प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथ तक यह शुभ सन्देश पहुँचे इसके लिये प्रचार के हर माध्यम का सहारा लिया गया, लेकिन कभी–कभी हँसी आती है कि लगभग आठ साल बीत जाने के बाद भी अभी भी अनेकों ऐसे चिकित्सक हैं जिन्हें अपने अधिकारों से परिचय नहीं है यदि हम इस विषय पर गम्भीरता एवं वास्तविकता से विचार करें तो जो तथ्य सामने आते हैं वे कम रोचक नहीं होते लेकिन हम यह स्वीकारते हैं कि यह निरन्तरता के अभाव में ही यह सब हो रहा है, कभी–कभी संवदहीनता भी रिक्तता को जन्म देती है और रिक्तता जब ज़्यादा हो जाती है तो असहज स्थिति जन्म लेती है और ऐसे असहज स्थिति से निपटना कभी–कभी मुश्किल हो जाता है।

बोर्ड ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित सूचनायें हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ तक पहुँचाने के लिये जो प्रयास किये निःसन्देह वह प्रयास सराहनीय हैं यह अलग बात है कि हमें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं हुई लेकिन हम इससे हताश भी नहीं हैं, बारम्बार प्रयास करने से सफलता का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा, विगत वर्षों में बोर्ड द्वारा चिकित्सकों को जागरुक करने के लिये तथा प्रदेश में स्थापित चिकित्सक की तरह चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को क्या–क्या कार्य करने हैं ?इससे परिचित कराने के लिये चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान का श्रीगणेश किया गया, प्रदेश व्यापी इस अभियान में बहुत सारे जिलों एवं मण्डलों को समाहित किया गया था, जगह–जगह पहुँचकर चिकित्सकों को इस बात से अवगत कराया गया था कि अब आप अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं, आपको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त हैं सिर्फ नौकरी के अधिकार को छोड़कर।

निरन्तरता के सम्बन्ध में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अभी अभी आयुष एवं योग के आयोजन में विश्तार से बताया और निरन्त्रता स्थापित करने वाले की भूरि भूरि प्रशंसा की।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में सम्पन्न

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समन्वय समिति की एक बैठक स्थानीय नानकसर गुरुद्वारा राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में डा0 एस0 शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निश्चिय किया गया कि आगामी 15 मार्च, 2020 को एक वृहद आयोजन कर देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री डा0 हर्षवर्धन का स्वागत व सम्मान किया जायेगा इस आयोजन में प्रमुख रुप से डा0 के0 पी0 एस0 चौहान, डा0 पी0 एस0 पाण्डेय, डा0 शिव कुमार पाल, डा0 रेहानुल हुदा, डा0 दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, डा0 सुखिन्दर सिंह–हरियाणा, डा0 बलविन्दर सिंह, डा0 आशीष बंसल–पंजाब, डा0 सरोज कुमार साहू–ओडिशा, डा0 त्रिदीप गुहा–नागपुर, डा0 नीलेश ठावरे–छत्तीसगढ़, डा0 एस0 के शर्मा, डा0 कपिल सिंह ठाकुर दोनों दिल्ली, डा0 दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव–मध्य प्रदेश, डा0 एस0 आर0 पंडित, डा0 अशोक कुमार दोनों–बिहार उपस्थित थे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समन्वय समिति की बैठक में सम्मिलित बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के मीडिया प्रभारी डा0 शिव कुमार पाल, डा0 कुलदीप सिंह (वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक,मोगा– पंजाब) डा0 के0 पी0 एस0 चौहान–हरिद्वार, डा0 पी0 एस0 पाण्डेय–मुम्बई, डा0 रेहानुल हुदा आदि।– छाया गज़ट

उपस्थित चिकित्सकों ने केन्द्र सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा बनाई गयी अन्तर विभागीय समिति की मांगों को न्याय संगत बनाया जाये जिससे कि इससे जुड़े हुये चिकित्सकों को न्याय मिल सके तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी सरकारी मान्यता एवं अन्य चिकित्सकों की भांति लाभ मिल सके, सभारोह को सम्बोधित करते हुये आयोजकों ने कहा कि अन्तर विभागीय समिति इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिये जिन प्रमाणों की मांग कर रही है वह बिना सरकारी मान्यता के असम्भव हैं।

गत 100 वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक बिना किसी सरकारी संरक्षण व सहयोग के अनवरत देश की जनता को बिना किसी भेद भाव के स्वास्थ्य लाभ पहुँचा रहे हैं, इस अवसर पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के मीडिया प्रभारी डा0 शिव कुमार पाल ने कहा कि वह आनदोलन को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग व समर्थन देंगे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्तुलित और समन्वित विकास के लिए लग जाना चाहिये–– डा0 मिश्रा

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपने दायित्वों को समझकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्तुलित और समन्वित विकास के लिए लग जाना चाहिये, देश व प्रदेश की सरकार आपको सरकारी संरक्षण की ओर ले जा रही है अब तो आपकी बारी है कि आप अपना कौशल दिखायें।

डा0 मिश्रा ने कहा कि अन्तरविभागीय समिति भी अपने आदेशों में यही संकेत कर रही है अब प्रपोजलकर्ता तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभ चिन्तकों को चाहिये कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वास्तविक विकास के लिए लग जायें और वांछित मापदण्ड पूरा करें हालांकि कुछ संगठन इस ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं उन्होंने वांछित अभिलेखों/डाटा को एकत्र करने का कार्य शुरू भी कर दिया है संगठनों ने अपने से सम्बद्ध इन्सटीटयूट/स्टडी सेन्टरों को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिये हैं, डा0 मिश्रा ने यह भी बताया कि सरकार ने सदैव बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रति सकारात्मक रूख अपनाया है जो भी सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए नियम/विनियम बनायेगी उसमें बोर्ड की सहभागिता अवश्य होगी क्योंकि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही प्रदेश की एक मात्र ऐसी संस्था है जो शुरू से रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सरकार के सम्पर्क में है, इसी कारण प्रदेश सरकार ने बोर्ड को शासनादेश भी जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग ने भी बोर्ड के लिये दो दो पत्र जारी किये हैं, प्रदेश में सबसे मज़बूत स्थिति बोर्ड की ही है उन्होंने कहा कि निःसन्देह प्रदेश में बोर्ड की अग्रणी भूमिका रहेगी ऐसे में बोर्ड से सम्बद्ध इनस्टीटयूट चिकित्सकों,स्टडी सेन्टरों का दायित्व है कि वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उन्नति के लिए करें और जो कार्य वह करें उसका रिकार्ड भी बनाते जायें जिससे ज़रूरत पड़ने पर सरकार को दिखाया जा सके।

डा0 मिश्रा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्य करने का यह सबसे उचित समय है क्योंकि अब तो सरकार का रूख भी स्पष्ट है व साकारात्मक है, ऐसे में कार्य करना सुगम व सुलभ है, इनस्टीटयूटों एवं स्टडी सेन्टरों को चाहिये कि वह नियमित कक्षायें संचालित करें व निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा से इलाज करें तथा इस पैथी के बारे में बताये कि यह सस्ती और सुलभ पैथी है जो रोगों पर तीव्र प्रभाव डालती है, उन्होंने चिकित्सकों को भी सलाह दी कि वे अपने क्लीनिक में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सालय का बोर्ड लगायें और अपने नाम के आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अंकित करायें तथा अपनी पैथी से ही इलाज करें।

आगे डा0 मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में लोगों को चिकित्सा मिले इसका उत्तरदायित्व सभी का है चाहे सरकार हो या आस्पताल या फिर चिकित्सक या फिर स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई अधिकारी सबका संयुक्त दायित्व है कि प्रदेश की जनता को सुलभ इलाज पहुचानें में अपना भरसक प्रयास करे, यही वह समय है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को ऊचाँईयों तक ले जा सकता है देश के युवा एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि वह कमज़ोर व अति पिछड़ों को उस स्थान पर देखना चाहते हैं जो उनके लिए वास्तविक हो इस सम्बन्ध में उन्होंने कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उन्होने आयुष एवं योगा क्षेत्र की उन महान विभूतियों का परिचय कराया और उनके नाम को सम्मान स्वरूप डाक टिकट भी जारी किये हैं इनमें से अधिकांश वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्य किये थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य की शुरूआत कर हमें यह सन्देश देने का प्रयास किया है कि हम अनवरत कार्य में लगे रहें अपने स्वरोज़गार के साथ उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का यथा सम्भव प्रयास करें जो अर्थाभाव या दूरियों के कारण स्वास्थ्य लाभ से वंचित हैं सरकार ने ऐसे लोगों के लिए अनेकों योजनायें भी चला रखी हैं बस हमें भी दृढ़ इच्छा रखने की आवश्यकता है।

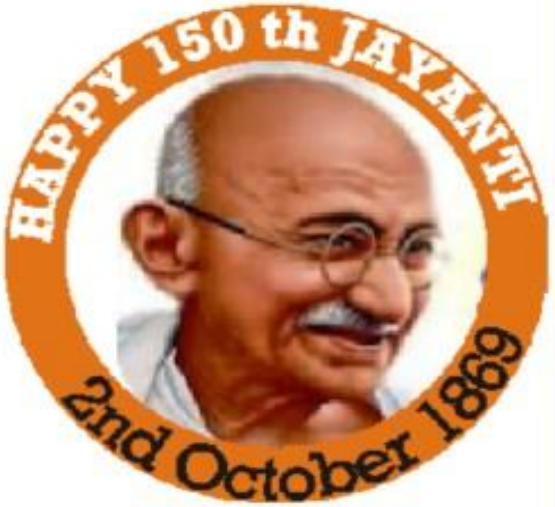

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा–डा0 इदरीसी

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य एवं पंजीयन समिति के प्रभारी डा0 पी0 एन0 कुशवाहा के साथ एक बैठक में बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।

डा0 कुशवाहा ने उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ जिलों में जाँच के नाम पर हो रही कार्यवाही से चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी को अवगत कराते हुये बताया कि इस जाँच के नाम पर उपरोक्त जिलो में स्वास्थ्य अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का उत्पीड़न कर रहे हैं उन्होंने अपने स्तर से अवैध ढंग से हो रही कार्यवाहियों को रोकने के लिये यथासम्भव प्रयास किये हैं जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं डा0 कुशवाहा ने आगे बताया कि वे व्यक्तिगत रुप से जाँच अधिकारियों से मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करा चुके हैं जिससे सम्बंधित अधिकारी प्रायः संतुष्ट भी हैं।

इस बैठक में डा0 इदरीसी ने बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से चिकित्सा करने के लिये चिकित्सकों को अधिकार प्रदान किये गये हैं इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2004 के अनुपालन में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये 4 जनवरी, 2012 को एक शासनादेश जारी किया गया है वर्तमान में प्रदेश में सिफ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को ही चिकित्सा शिक्षा एवं पंजीकरण का अधिकार प्राप्त है इस शासनादेश के अनुपालन हेतु प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने 02 सितम्बर, 2013 एवं 14 मार्च, 2016 को हर मण्डल के अपर निदेशकों को पत्र लिख कर निर्देश दिया है कि इसे अपने मण्डल के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से परिचालित करा दें तथा शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें,अनेक मण्डलों के अपर निदेशकों ने अपने अधीनस्थ जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस सम्बन्ध में आदेशित भी कर रखा है इन सब आदशों के बावजूद कोई अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस को कैसे रोक सकता है ?यदि वह रोकता है तो पूरी तरह से अवैध कार्यवाही कर रहा है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 अवैध कार्यवाही का पूर्णतयः विरोध करेगा।

डा0 इदरीसी ने भी डा0 कुशवाहा को यह अवगत कराया कि प्रदेश के अनेक जनपदों से सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि जाँच के नाम पर छापेमारी कर उत्पीड़न किया जा रहा है जिसका शमन होना नितान्त आवश्यक है डा0 इदरीसी ने डा0 कुशवाहा को स्पष्ट शब्दों में बताया कि किसी भी स्थिति में किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक का उत्पीड़न नहीं होने दिया जायेगा इसके लिये जो कुछ भी आवश्यक होगा वह किया जायेगा, डा0 इदरीसी ने डा0 कुशवाहा को यह कहते हुये निर्देशित किया कि प्रदेश में चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन प्रभार आपके पास है इसलिये आप समानान्तर अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरुक करें तथा उनसे यह भी अपेक्षा करें कि वह विधिवत ढंग से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से अपनी प्रैक्टिस करें यदि आवश्यक हो तो उन्हें शासनादेश आदि की प्रति भी उपलब्ध करा दें जिसे वह सम्बंधित सक्षम अधिकारियों को दिखा सकें, उनसे यह भी कहें कि यदि इसके बाद भी कोई वास्तविक कठिनायी हो तो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार से तत्काल सम्पर्क करें, डा0 इदरीसी ने बताया कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं है,इस आशय का पत्र भारत सरकार द्वारा समस्त सम्बन्धित को प्रेषित किया जा चुका है।

भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने का मन पूरी तरह से बना चुकी है और उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून बनने से पहले राज्य सरकारें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवस्थायें निर्मित कर सकती हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार से उसे जो निर्देश प्राप्त होंगे वह उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के इन कथनों से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रोकना नहीं चाहती है ऐसी स्थिति में जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य में बाधा डालना अनुचित ही नहीं बल्कि अवैधानिक भी है।

डा0 इदरीसी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा यदि उत्पीड़न बन्द नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध उच्च अधिकारियों से शिकायत कर आन्दोलन किया जा सकता है डा0 इदरीसी ने आवाहन किया कि जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक पीड़त हो वह अपने स्थानीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थान एवं अध्ययन केन्द्र के माध्यम से बोर्ड के कार्यालय को साक्ष्यों सहित उपलब्ध करायें ताकि इस अवैध कार्यवाही को सरकार के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सके।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी के साथ पंजीयन समिति के प्रभारी डा0 पी0 एन0 कुशवाहा चर्चा करते हुये – छाया गजट

आयुष एवं योगा के एक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुये बायें से डा0 आफताब अहमद हाशमी–पूर्व उप निदेकशक यूनानी उ0प्र0, केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशोनायक, उ0प्र0 यूनानी आन्दोलन के प्रमुख एवं ईशू के महासचिव श्री मुहम्मद खालिद, डा0 शमीम बनारसी–पूर्व सचिव उ0प्र0 उर्दू अकादमी एवं डा0 सिकंदर हयात– निदेशक यूनानी उ0प्र0 छाया गजट